



2026:AHC-LKO:7623-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 12451 सन 2025

आशीष प्रताप सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग लखनऊ
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	सूरज सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी

1. श्री उत्कर्ष मिश्रा और श्री अभिषेक, विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अपना 'वकालतनामा' दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 12.09.2025/15.09.2025 के आक्षेपित आदेश को पहले ही रद्द कर दिया गया है और इस मामले को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या 12080/2025 के तहत विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को वापस भेज दिया गया है, इसलिए अब इस पर विचार करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फरवरी 2, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।